न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
114/2025	02/05/2025	17.12.2025

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र कुवरपाल सिंह जाति जाटव निवासी 269 छिपीवाडा आमेर रोड, रामगढ रोड शिव मन्दिर के पास जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. जीवण पुत्र रामचन्दा
2. बाबू पुत्र रामचन्दा
3. रामबक्स पुत्र रामचन्दा
4. लीलाराम पुत्र रामचन्दा
5. कल्याण पुत्र रामचन्दा
6. रामअवतार पुत्र धन्नाराम
7. छोटूराम पुत्र धन्नाराम
8. देशराज पुत्र धन्नाराम
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
9. तहसीलदार महोदय तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. उप पंजीयक, जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री अरविन्द शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री अरविन्द शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 238 रकबा 1.8100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.8200है0 ग्राम खरकडा, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 01.08.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम खरकडा, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
81	कल्याण पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, जितेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर पाल सिंह हि0 1/2 जाति जाटव 269 छिपीवाडा, आमेर रोड, रामगढ मोड, शिव मन्दिर के पास, जयपुर खातेदार, जीवण पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, धन्नाराम पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, नाथी पत्नि रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, बाबू पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, रामबगस पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, लीलाराम पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार।	237 238	0.0100 1.8100	गै0मु0चाह नहरी 2	– 12.67
	योग	किता 2	1.8200	–	12.67

–: प्रस्तावित :–

क्र0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	जितेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर पाल सिंह हि0 1/2 जाति जाटव 269 छिपीवाडा, आमेर रोड, रामगढ मोड, शिव मन्दिर के पास, जयपुर खातेदार।	238/2	0.9100	नहरी 2	6.37
	योग	किता 1	0.9100	–	6.37
2	नाथी पत्नि रामचन्दा हि0 1/7, कल्याण, जीवण, धन्नाराम, बाबू, रामबगत, लीलाराम पि0 रामचन्दा बहिब 6/7 जाति रैगर सा0देह खातेदार।	237 238/1	0.0100 0.9000	गै0मु0चाह नहरी 2	– 6.30
	योग	किता 2	0.9100	–	6.30

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

जितेन्द्र सिंह बनाम जीवण वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 114/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खरकडा, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
	कल्याण पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, जितेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर पाल सिंह हि0 1/2 जाति जाटव 269 छिपीवाडा, आमेर रोड, रामगढ मोड, शिव मन्दिर के पास, जयपुर खातेदार, जीवण पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, धन्नाराम पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, नाथी पत्नि रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, बाबू पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, रामबगस पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार, लीलाराम पुत्र रामचन्दा हि0 1/14 जाति रैगर सा0देह खातेदार।	237 238	0.0100 1.8100	गै0मु0चाह नहरी 2	– 12.67
	योग	किता 2	1.8200	–	12.67

–: प्रस्तावित :–

	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	जितेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर पाल सिंह हि0 1/2 जाति जाटव 269 छिपीवाडा, आमेर रोड, रामगढ मोड, शिव मन्दिर के पास, जयपुर खातेदार।	238/2	0.9100	नहरी 2	6.37
	योग	किता 1	0.9100	–	6.37
	नाथी पत्नि रामचन्दा हि0 1/7, कल्याण, जीवण, धन्नाराम, बाबू, रामबगत, लीलाराम पि0 रामचन्दा बहिब 6/7 जाति रैगर सा0देह खातेदार।	237 238/1	0.0100 0.9000	गै0मु0चाह नहरी 2	– 6.30
	योग	किता 2	0.9100	–	6.30

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 17/12/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:– 114 / 2025

जितेन्द्र सिंह   दायर दिनांक 02.05.2025

बनाम

जीवण वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश   दिनांक 01.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री अरविन्द शर्मा वकील वादी निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खरकडा, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 238 रकबा 1.8100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.8200है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 01/08/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner